(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या -171 नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन न्यास प्राधिकरण एतत्द्वारा, भंडारण क्षेत्र के अल्पकालिक आबंटन के लिए दरों को लागू किए जाने को शासित करने वाली सशर्तताएं प्रदान करने हेतु टीएम इन्टरनेशनल लॉजिस्टिक्स लिमि.से प्राप्त प्रस्ताव को इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार निपटाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/29/2008-टीएमआईएलएल

टीएम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ------- आवेदक

आ दे श

(जून 2010 के 16 वें दिन पारित किया गया)

यह प्रकरण, इसके दरमान में भंडारण क्षेत्र के अल्पकालिक आबंटन को शासित करने वाली सशर्तताएँ के लिए दरों को लागू किए जाने को शासित करने वाली सशर्तताएं प्रदान करने हेतु टीएम इन्टरनेशनल लॉजिस्टिक्स लिमि. (टीएमआईएलएल) से प्राप्त प्रस्ताव की विवेचना करता है।

2 इस प्राधिकरण ने, हाल्दिया डॉक काम्प्लैक्स (एचडीसी) स्थित कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) के बर्थ सं. 12 पर टीएमआईएलएल द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारित करते हुए 12 अक्तूबर 2007 को एक आदेश पारित किया था। भंडारण क्षेत्र के अल्पकालिक आबंटन के लिए दरें टीएमआईएलएल के दरमान में एक अन्तरिम उपाय के रू प में इस शर्त के अधीन प्रदान की गई थीं कि टीएमआईएलएल ऐसी भंडारण दरों को लागू किए जाने को शासित करने वाली सशर्ते प्रदान करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

3.1 इस प्राधिकरण के निदेशों के अनुपालन में टीएमआईएलएल ने भंडारण क्षेत्र के अल्पकालिक आबंटन के लिए दरों को लागू किए जाने को शासित करने वाली सशर्तताएं प्रदान किए जाने के लिए प्रस्ताव दाखिल किया है। टीएमआईएलएल द्वारा उठाए गए मुख्य बिंदु, संक्षेप में, निम्नानुसार हैं :-

(i) लाइसैंस एग्रीमैंट टीएमआईएलएल को, बर्थ सं. 12 पर (काले और तरल कार्गो के अलावा) सभी प्रकार के शुष्क बल्क और प्रोजैक्ट कार्गो के प्रहस्तन के लिए प्राधिकृत करता है।

(ii) केओपीटी का एक हिस्सा होने के नाते टीएमआईएलएल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पत्तन उपयोगकर्त्ताओं को, हाल्दिया डॉक काम्प्लैक्स में उन्हें मिल रही सुविधाओं के समान सुविधाएं उपलब्ध करवाए।

(iii) टीएमएलएल को ''अल्पकालिक पट्टे '' पर भूखंड प्रदान करने की आवश्यकता है क्योंकि 3 दिन की निःशुल्क अवधि के भीतर खाली न कर पाने पर, जैसाकि केओपीटी के दरमान में प्रदत्त है, किसी भी उपयोगकर्त्ता को कोई विलंब शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

3.2 टीएमआईएलएल ने भूखंड के अल्पकालिक आबंटन के लिए दरों को लागू करने को शासित करने वाली सशर्तताओं का मसौदा प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित सशर्तताएं सामान्यतः एचडीसी स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों के लिए वर्तमान किराया अनुसूची में दिनांक 27 मार्च 2000 के आदेश के माध्यम से इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सशर्तताओं के समान / सदृश हैं। टीएमआईएलएल द्वारा प्रस्तावित सशर्तताओं और एचडीसी की वर्तमान किराया अनुसूची में प्रदत्त सशर्तताओं की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई हैं :-

टीएमआईएलएल द्वारा प्रस्तावित सशर्तताएं	एचडीसी स्थित भूमि और भवनों के लिए किराया अनुसूची में अनुमोदित सशर्तताएं
आयात / निर्यात कार्गो के भंडारण के लिए मासिक किराए आधार पर एक वर्ष तक की अवधि के लिए आबंटित इसके क्षेत्र के भीतर टीएमआईएलएल द्वारा खुले / ढके हुए स्थान की लाइसैंसिंग निविदा प्रक्रिया अपनाए बिना की जा सकती है । ऐसे मामलों में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा :-	आयात / निर्यात कार्गो के भंडारण के लिए मासिक किराया आधार पर एक वर्ष तक की अवधि के लिए डॉक इंटीरियर जोन के भीतर खुले / ढके हुए स्थान की लाइसैंसिंग निविदा प्रक्रिया अपनाए बिना की जा सकती है । ऐसे मामलों में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा :-
(i) अपने कार्गो के भंडारण के लिए स्थान के आबंटन के लिए पत्तन उपयोगकर्त्ता वरिष्ठ प्रबंधक (प्रचालन) टीएमआईएलएल को आवेदन कर सकते हैं । मुख्य (पीओ) को ऐसा स्थान आबंटित करने या उससे इंकार करने का विवेकाधिकार होगा।	(i) अपने कार्गो के भंडारण के लिए स्थान के आबंटन के लिए पत्तन उपयोगकर्त्ता महाप्रबंधक (प्रचालन) को आवेदन कर सकते हैं। अध्यक्ष / उपाध्यक्ष (एच) को ऐसा स्थान आबंटित करने या आबंटन से इंकार करने का विशेषाधिकार होगा।
(ii) लाइसैंस की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(ii) लाइसैंस की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(iii) आबंटित स्थान किराए पर नहीं दिया जाएगा / समनुदेशित नहीं किया जाएगा / हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।	(iii) आबंटित स्थान किराए पर नहीं दिया जाएगा / समनुदेशित नहीं किया जाएगा / हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।
(iv) लाइसैंसधारी द्वारा भूमि और रेल पटरियों / रेल मार्गो इत्यादि के अतिक्रमण या अनधिकृत कब्जे के लिए टीएमआईएलएल की संपत्तियों को पहुंची क्षति को ठीक करने लागत के साथ अनुसूचित लाइसैंस शुल्क के दस गुना की दर से अर्थ दंड का भुगतान करना होगा। यदि अतिक्रमण वाले स्थान से कार्गो हटाने के लिए नोटिस दिए जाने के बाद भी लाइसैंसधारी वहां से कार्गो नहीं हटा पाता है तो कार्गो को टीएमआईएलएल के आबंटित क्षेत्र के भीतर लाइसैंस धारक की लागत और जोखिम पर कहीं और हटा दिया जाएगा और इस तरह हटाए गए कार्गो द्वारा घेरे गए स्थान पर सामान्य दर के दस गुना की दर से दंड स्वरूप लाइसैंस शुल्क लगाया जाएगा।	(v) लाइसैंस धारी द्वारा भूमि और रेल पटरियों / रेल मार्गो इत्यादि के अतिक्रमण या अनाधिकृत कब्जे के लिए पत्तन की संपत्तियों को पहुंची क्षति को ठीक करने की लागत के साथ अनुसूचित लाइसैंस शुल्क के दस गुना की दर से अर्थ दंड का भुगतान करना होगा । यदि अतिक्रमण वाले स्थान से कार्गो हटाने के लिए नोटिस दिए जाने के बाद भी लाइसैंसधारी वहां से कार्गो नहीं हटा पाता है तो कार्गो को पत्तन द्वारा लाइसैंस धारक की लागत और जोखिम पर कहीं और हटा दिया जाएगा और इस तरह हटाए गए कार्गो द्वारा घेरे गए स्थान पर सामान्य दर की दस गुना की दर से दंड स्वरूप लाइसैंस शुल्क लगाया जाएगा।
(v) किसी लाइसैंस के अधीन भंडारित कार्गो लाइसैंस धारक के समस्त जोखिम और जिम्मेदारी पर होगा । आबंटित स्थान में भंडारित कार्गो की सुरक्षा और उसे आबंटित स्थान का अन्यों द्वारा अनाधिकृत कब्जा रोकने के लिए लाइसैंस धारक वहां अपना चौकीदार तैनात करेगा।	(iv) किसी लाइसैंस के अधीन भंडारित कार्गो लाइसैंस धारक के समस्त जोखिम और जिम्मेदारी पर होगा । आबंटित स्थान में भंडारित कार्गो की सुरक्षा और उसे आबंटित स्थान का अन्यों द्वारा अनाधिकृत कब्जा रोकने के लिए लाइसैंस धारक वहां अपना चौकीदार तैनात करेगा।
(vi) लाइसैंस के अधीन कब्जा किए स्थान पर लाइसैंसधारी कोई भवन नहीं बनाएगा या खड़ा करेगा या सुविधा निर्माण नहीं करेगा ।	(vi) लाइसैंस के अधीन कब्जा किए स्थान पर लाइसैंसधारी कोई भवन नहीं बनाएगा या खड़ा करेगा अथवा कोई सुविधा निर्माण नहीं करेगा ।
(vii) यदि लाइसैंस धारक, लाइसैंस के समाप्त होने की तिथि पर स्थान का खाली कब्जा सौंपने में असफल	(vii) यदि लाइसैंस धारक, लाइसैंस के समाप्त होने की तिथि पर स्थान का खाली कब्जा सौंपने में असफल

रहता है तो लाइसैंस में प्रदत्त अवधि से आगे जितने समय कार्गो टीएमआईएलएल के परिसर में रहता है, टीएमआईएलएल, समय-समय पर लागू टीएमआईएलएल के दरमान के अनुसार सामान्य विलंब प्रभार लगाएगा।	रहता है तो लाइसैंस में प्रदत्त अवधि से आगे जितने समय कार्गो एचडीसी / सीपीटी के परिसर में रहता है, एचडीसी / सीपीटी समय- समय पर लागू एचडीसी / सीपीटी दरमान के अनुसार सामान्य विलंब प्रभार लगाएगा।
(viii) यदि लाइसैंसधारक को लाइसैंस के विस्तार की आवश्यकता हो तो विस्तार के लिए आवेदन किया जाना चाहिए ताकि वह आवेदन लाइसैंस की अवधि की समाप्ति से कम से कम 7 दिन पहले वरि. प्रबंधक (प्रचालन) के पास पहुंच जाए।	(viii) यदि लाइसैंसधारक को लाइसैंस के विस्तार की आवश्यकता हो तो विस्तार के लिए आवेदन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह आवेदन लाइसैंस की अवधि समाप्त होने से कम से कम 15 दिन पहले महाप्रबंधक (प्रचालन) के पास पहुंच जाए।सभी प्रदत्त परवर्ती विस्तारों समेत लाइसैंस की कुल अवधि, स्थान के आरंभिक आबंटन की तिथि से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(ix) लाइसैंस धारक, टीएमआईएलएल द्वारा समय-समय पर जारी सभी निवेशों एवं नियमों का अनुपालन करने पर सहमत होगा । यदि लाइसैंस धारक ऐसे नियमों-निदेशों के अनुपालन की अपेक्षा करेगा तो टीएमआईएलएल उसका लाइसैंस समाप्त कर सकता है।	(ix) लाइसैंस धारक एचडीसी /सीपीटी द्वार समय-समय पर जारी निदेशों एवं नियमों का अनुपालन करने पर सहमति प्रदान करेगा। यदि लाइसैंस धारक ऐसे नियमों-निदेशों के अनुपालन की अपेक्षा करेगा तो एचडीसी / सीपीटी उसका लाइसैंस समाप्त कर सकता है।
(x) लाइसैंस को किसी भी पक्ष द्वारा 15 दिन का नोटिस देकर समाप्त किय जा सकता है।	(x) लाइसैंस को किसी भी पक्ष द्वारा 15 दिन का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।
(xi) यदि आबंटन के लिए अनुरोध 100 वर्ग मीटर से भी कम के लिए है तो भी लाइसैंस धारक को कम से कम 100 व.मी. के न्यूनतम प्रभार का भुगतान तो करना ही होगा।	---
(xii) लाइसैंस धारक सहमत होंगे कि लाइसैंस के संबंध में सभी भुगतान और टीएमआईएलएल के कारण देय व्यय, फिर वो किसी भी प्रकार के हों, समय-समय पर टीएमआईएलएल के दरमान में प्रदत्त दरों पर वसूले जाएंगे।	(xi) लाइसैंस धारक सहमत होंगे कि लाइसैंस के संबंध में सभी भुगतान और एचडीसी / सीपीटी के कारण देय व्यय, फिर वो किसी भी प्रकार के हों, समय-समय पर एचडीसी / सीपीटी के दरमान में प्रदत्त दरों पर वसूले जाएंगे।
(xiii) लाइसैंस धारक उन सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करेगा जो विस्फोटक निरीक्षक विस्फोटक विभाग, भारत सरकार द्वारा अथवा कार्गो के भंडारण के संबंध में, सम्बद्ध (एजेन्सी) द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे।	(xii) लाइसैंस धारक उन सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करेगा जो नगर प्रशासन अथवा विस्फोटक निरीक्षक, विस्फोटक विभाग, भारत सरकार द्वारा अथवा कार्गो के भंडारण के संबंध में, सम्बद्ध (एजेन्सी) द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे।
(xiv) लाइसैंस शुल्क सीमांकन पर पाए जाने वाले वास्तविक क्षेत्रफल पर भूमि का कब्जा सौंपने की तिथि से प्रभारित किया जाएगा।	(xvii) लाइसैंस शुल्क सीमांकन पर पाए जाने वाले वास्तविक क्षेत्रफल पर भूमि का कब्जा सौंपने की तिथि से प्रभारित किया जाएगा। जमानत धन की राशि भी सीमांकन पर पाए गए वास्तविक क्षेत्रफल पर निर्धारित की जाएगी।

(xv) लाइसैंस निरस्त करने / वापिस लेने के लिए किसी भी मुआवजे के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।	(xix)लाइसैंस निरस्त करने / वापिस लेने के लिए किसी भी मुआवजे के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
(xvi) लाइसैंस धारक से अपेक्षा की जाती है कि वह आबंटित भूमि का उसी काम के लिए उपयोग करे जिसके लिए उसे लाइसैंस दिया गया है । टीएमआईएलएल से विशिष्ट लिखित अनुज्ञा के बिना उपयोगिता के प्रयोजन में कोई बदलाव अनुमत नहीं किया जाएगा।	(xx) लाइसैंस धारक से अपेक्षा की जाती है कि वह आबंटित भूमि का उसी काम के लिए उपयोग करे जिसके लिए उसे लाइसैंस दिया गया है। सीपीटी से विशिष्ट लिखित अनुज्ञा के बिना उपयोगिता के प्रयोजन में कोई बदलाव अनुमत नहीं किया जाएगा।
(xvii) लाइसैंस धारक टीएमआईएलएल की परिसम्पत्तियों को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा किन्तु, यदि कोई क्षति पहुंचती है तो लाइसैंस धारक अपनी लागत पर उस क्षति को ठीक करवाएगा और टीएमआईएलएल को संतुष्ट करेगा।	(xxi) लाइसैंस धारक सीपीटी की परिसम्पत्तियों को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा किन्तु, यदि कोई क्षति पहुंचती है तो लाइसैंस धारक अपनी लागत पर उस क्षति को ठीक करवाएगा और सीपीटी को संतुष्ट करेगा।
(xviii) लाइसैंस धारक को आबंटित भूमि और उसके आस पड़ोस को साफ सुथरा और समुचित निरोगी अवस्था में रखने के लिए अपनी ओर से व्यवस्था करनी होगी।	(xxii) लाइसैंस धारक को आबंटित भूमि और उसके आस पड़ोस को साफ सुथरा और समुचित निरोगी अवस्था में रखने के लिए अपनी ओर से व्यवस्था करनी होगी।

4. प्रदत्त परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, टीएमआईएलएल द्वारा दाखिल किया गया प्रस्ताव केओपीटी को भेजा गया और टीएमआईएलएल द्वारा संस्तुत अतिरिक्त उपयोगकर्त्ताओं सहित सम्बद्ध उपयोगकर्त्ताओं को उनकी राय जानने के लिए परिपत्रित किया गया। केओपीटी और सम्बद्ध उपयोगकर्त्ताओं से प्राप्त टिप्पणियां प्रतिपूरक सूचना के रू प में टीएमआईएलएल को भेज दी गई।

5. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित प्रक्रिया (कार्यवाही का विवरण) इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्डस पर उपलब्ध है। प्राप्त टिप्पणियों का सारांश सम्बद्ध पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये ब्यौरे हमारे वैबसाइट http://tariffauthority.gov.inपर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

6. इस प्रकरण पर कार्रवाई करने के दौरान एकत्रित की गई सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है :-

(i) कोलकाता पत्तन न्यास ने 20 वर्ष की अवधि के लिए बर्थ सं. 12 को सुसज्ज करने वहां निर्माण करने, वित्त-पोषण करने, प्रचालन करने और उसका प्रबंधन करने के लिए टीएमइन्टरनेशनल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (टीएमआईएलएल) के साथ जनवरी 2002 में एक लाइसैंस एग्रीमेंट निष्पादित किया था। केओपीटी ने बहुउद्देशीय बर्थ सं. 12 इसके बैकअप क्षेत्र के साथ एलए के कथित प्रयोजन से आबंटित कर दिया है।

(ii) अक्तूबर 2007 में टीएमआईएलएल के लिए प्रशुल्क के निर्धारण से संबंधित प्रक्रिया के दौरान केओपीटी ने अपना सारोकार व्यक्त किया था कि यदि टीएमआईएलएल द्वारा ऐसे मामलों में, सुविधाओं के अल्पकालिक आबंटन के लिए दरें लागू की जाती है जहां विलंब शुल्क (प्रभार) अधिक उपयुक्त होगा, तो इसका केओपीटी द्वारा टीएमआईएलएल से मिलने वाले राजस्व भाग पर अत्यधिक वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। अतएव, केओपीटी ने सुझाव दिया कि एचडीसी के मामले में ऐसे ही आबंटन के संबंध में सशर्तताओं के समान सशर्तताएं प्रदान की जा सकती हैं। केओपीटी

के सरोकार से सहमति जताते हुए टीएमआईएलएल के दरमान में सुविधाओं के अल्पकालिक आबंटन के लिए दरों को इस शर्त पर प्रदान किया गया था कि टीएमआईएलएल अपने दरमान में, भंडारण क्षेत्र के अल्पकालिक आबंटन को शासित करने वाली सशर्तताएँ शामिल करने के लिए एक अलग प्रस्ताव दाखिल करेगा ।

(iii) जैसा कि इस नोट के आरंभिक भाग में तथ्यात्मक स्थिति का वर्णन किया गया है, सुविधाओं के अल्पकालिक आबंटन के लिए दरों को लागू करने को शासित करने हेतु टीएमआईएलएल द्वारा प्रस्तावित सशर्तताएं, सामान्यतया एचडीसी के भूमि और भवनों के लिए वर्तमान किराया अनुसूची में प्रदत्त सशर्तताओं के समान ही हैं। उपयोगकर्त्ताओं ने प्रचालक द्वारा प्रस्तावित सशर्तताओं का एकमत से समर्थन किया है। लाइसैंस प्रदाता पत्तन भी, जिसने कुछ प्रस्तावित सशर्तताओं में किन्तु छोटे-मोटे परिवर्तन का सुझाव दिया, टीएमआईएलएल के प्रस्ताव से सहमत है। केओपीटी द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों के प्रति टीएमआईएलएल से हमें कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में, संयुक्त सुनवाई का आयोजन करना आवश्यक नहीं समझा गया। अतएव, यह प्राधिकरण टीएमआईएलएल द्वारा दाखिल किए गए संदर्भित प्रस्ताव तथा विभिन्न स्टंक होल्डरों की टिप्पणियों को निपटाने की दिशा में कार्रवाई कर सकता है ।

(iv) तत्कालीन नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमएसआरटीएच) में भारत सरकार ने फरवरी / मार्च 2004 में संशोधित भूमि नीति मार्गदर्शियों की घोषणा की जो मंत्रालय के पत्र सं. पीटी -17011 / 32 / 2000-पीटी दिनांक 10 फरवरी 2005 के माध्यम से केओपीटी को फरवरी 2005 में उपलब्ध करवाया गया था। मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शी इस प्राधिकरण से महापत्तनों में स्थित पट्टेदारी किरायों के विनियमन के मामले में भारत सरकार द्वारा जारी भूमि नीति मार्गदर्शियों का अनुसरण करने की अपेक्षा करते हैं। केओपीटी में कथित आबंटन के लिए वर्तमान दरमान की कुछ सशर्तताएं भूमि नीति घोषणा के प्रकाश में कुछ फेरबदल चाहती हैं।

जितने समय तक केओपीटी के संपदा किरायों की समीक्षा की जाती है, उतने समय तक, इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश सं. टीएएमपी / 56 / 2005-केओपीटी दिनांक 31 अगस्त 2006 के माध्यम से निदेश के अनुसार, केओपीटी नीति मार्गदर्शियों में प्रदत्त सशर्तताओं को लागू करें। तदनुसार, हाल्दिया स्थित केओपीटी की भूमि और भवनों के आबंटन के लिए किरायों की अनुसूची में वर्तमान सशर्तताएं और कोलकाता स्थित भूमि के आबंटन के लिए प्रासंगिक दरमान उतनी मात्रा तक परिवर्तित माने जाते हैं जितनी मात्रा / सीमा तक ये सशर्तताएं सरकार द्वारा जारी किए गए भूमि नीति मार्गदर्शियों से असंगत या भिन्न हैं। टीएमआईएलएल द्वारा प्रस्तावित सशर्तताएं भी सरकार द्वारा जारी भूमि नीति मार्गदर्शियों के समरू प होनी चाहिए।

(v) टीएमआईएलएल द्वारा प्रस्तावित सशर्तताएं कार्गो के भंडारण के लिए लाइसैंस आधार पर सुविधाओं को किराए पर देने के लिए हैं। निविदा प्रक्रिया को अपनाएं बिना सुविधाओं को लाइसैंस पर देने की शर्त, सरकार के भूमि नीति मार्गदर्शियों की धारा 5.2.2 (बी) के अनुरू प पाई गई है।

(vi) टीएमआईएलएल ने लाइसैंस आधार पर एक वर्ष की अधिकतम अवधि तक सुविधाओं के आबंटन के लिए एक शर्त प्रस्तावित की हैं। चूंकि सरकार की भूमि नीति मार्गदर्शियों की धारा 5.1.1 (ख) और 5.2.2 (ख) के अनुरू प है जो ऐसे आबंटन को 11 माह की अधिकतम अवधि तक सीमित करती है, के लिए आबंटन का अनुबंध करती हैं, शर्त को इस आशय के लिए संशोधित किया जाता है कि लाइसैंस की अवधि 11 महीने से अधिक नहीं होगी।

(vii) उन प्रस्तावित शर्तों को, जिनमें उपयोगकर्त्ताओं से अपेक्षा की गई है कि वह स्थान के आबंटन और लाइसैंस के विस्तार के लिए टीएमआईएलएल के मनोनीत प्राधिकारी को ही अपना आवेदन करें, दरमान का भाग बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये शर्ते टीएमआईएलएल की प्रशासनिक प्रक्रियाओं से संबंधित हैं ।

(viii) प्रस्तावित सशर्तताओं में एक प्रावधान यह भी है कि उपयोग कर्त्ताओं को टीएमआईएलएल द्वारा आबंटित किया गया स्थान किराए पर नहीं चढ़ाया जाएगा / समनुदेशित नहीं किया जाएगा / हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा। केओपीटी द्वारा सुझाई गई अतिरिक्त शर्त कि आबंटित स्थान लाइसैंस धारक द्वारा किसी अन्य के साथ बांटकर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अनुमोदित की जाती है क्योंकि किसी उपयोगकर्त्ता को आबंटित स्थान केवल उस संबंधित उपयोगकर्त्ता के एकल उपयोग के लिए ही होना चाहिए।

(ix) प्रस्तावित सशर्तताओं में से एक में अतिक्रमण अथवा सुविधाओं पर अनाधिकृत कब्जे के लिए अनुमोदित दर के दस गुना की दर पर दण्डात्मक लाइसैंस शुल्क लगाने की बात कही गई है और यह अनुबंधित किया गया है कि लाइसैंसधारक द्वारा अतिक्रमित टीएमआईएलएल की सुविधाओं को पहुंची क्षति के सुधार की लागत एवं अतिक्रमित क्षेत्र से कार्गो को हटाने की लागत संबंधित लाइसैंस धारक को वहन करनी होगी। यह सोचते हुए कि प्रस्तावित शर्त, भ्रष्ट उपयोगकर्त्ता से टर्मिनल प्रचालक के हितों की रक्षा करने के लिए दण्डात्मक प्रावधान है। और यह ध्यान में रखते हुए कि ऐसा दण्डात्मक प्रावधान एचडीसी की वर्तमान किराया अनुसूची में प्रदत्त है, प्रस्तावित शर्त को अनुमोदित किया जाता है।

(x) टीएमआईएलएल के वर्तमान दरमान में अनुमोदित पट्टा किरायों का यूनिट / इकाई प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह है और यह एचडीसी की किराया अनुसूची में प्रदत्त प्रावधान के समान है। जैसाकि केओपीटी द्वारा ठीक ही उल्लेख किया गया है, प्रचालक को वास्तव में आबंटित क्षेत्रफल के लिए ही लाइसैंस शुल्क वसूलना चाहिए। अतएव, यदि उपयोगकर्त्ता उस पर कम से कम 100 वर्गमीटर का प्रभार लगाने की सशर्तता को अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाता है।

(xi) एचडीसी की किराया अनुसूची में अनुमोदित वर्तमान व्यवस्था में और प्रस्तावित सशर्तता में स्थान के लाइसैंस धारक से अपेक्षा की जाती है कि वह, जैसाकि कार्गो के भंडारण के संबंध में प्रावधान में सूचीबद्ध किया गया है, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी नियमों अथवा विनियमों का अनुपालन करेगा। केओपीटी द्वारा सुझाए गए शब्दों ''नियमों'' अथवा ''विनियमों'' के अलावा ''अनुदेश '' समेत प्राधिकारियों की सूची में ''केओपीटी'' और ''नगर प्रशासन / प्राधिकारियों'' का नाम भी जोड़ा गया है।

(xii) यदि लाइसैंस धारक, लाइसैंस की अवधि समाप्त हो जाने पर लाइसैंस आधार पर आबंटित स्थान सौंपने में असफल रहता है तो टीएमआईएलएल के दरमान के अनुसार लाइसैंस धारक पर सामान्य विलंब शुल्क लगाने की शर्त अनुमोदित की जाती है क्योंकि ग्यारह माह की अधिकतम लाइसैंस अवधि समाप्त हो जाने पर लाइसैंस शुल्क लगना बन्द हो जाएगा।

(xiii) प्रशुल्क मार्गदर्शी 2005 की धारा 4.6 में अनुबंध किया गया है कि जब प्रचालन क्षेत्र उपयोगकर्त्ताओं को किराये पर पट्टे पर दिया जाता है तो पट्टे पर दिए गए परिसरों में भंडारित कार्गो पर विलंब शुल्क पुनः नहीं लगाया जाना चाहिए। तद्नुसार, सशर्तताओं में इस संबंध में एक प्रावधान शामिल किया गया है।

7. परिणाम स्वरू प, और ऊपर दिए गए कारणों से और समय विचार-विमर्श के आधार पर निम्नलिखित सशर्तताओं को टीएमआईएलएल के दरमान के खंड 10 में वर्तमान उपखंड 10.2 के बाद डाला जाता है :-

''10.3 आयात / निर्यात कार्गो के भंडारण के लिए मासिक किराया आधार पर 11 (ग्यारह) माह की अवधि के लिए, टीएमआईएलएल द्वारा अपने आबंटित क्षेत्र के भीतर खुले / ढके हुए स्थान का लाइसैंस दिया जाना निविदा प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना किया जा सकता है। ऐसे मामलों में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा :-

(i) लाइसैंस की अवधि (11) ग्यारह माह से अधिक नहीं होगी।

(ii) आबंटित स्थान आबंटियों द्वारा किराए पर नहीं दिया जाएगा / समनुदेशित नहीं किया जाएगा / हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा / किसी अन्य के साथ बांट कर उपयोग नहीं किया जाएगा।

(iii) लाइसैंस धारक द्वारा भूमि और रेल पथ आदि का अतिक्रमण अथवा अनधिकृत कब्जा करने पर उसे, टीएमआईएलएल की सम्पत्तियों को पहुंची क्षति को ठीक करने की लागत के साथ अनुसूचित लाइसैंस शुल्क के दस गुना की दर से अर्थ-दंड का भुगतान करना होगा। यदि लाइसैंस धारक, अतिक्रमित क्षेत्र से कार्गो हटाने का नोटिस दिए जाने के बाद भी अपना कार्गो वहां से नहीं हटा पाता है तो उस कार्गो को लाइसैंस धारक के जोखिम और लागत पर टीएमआईएलएल द्वारा टीएमआईएलएल के आबंटित क्षेत्र के भीतर अन्यत्र हटा दिया जाएगा और इस प्रकार हटाए गए कार्गो द्वारा घेरे गए स्थान पर सामान्य दर के दस गुना की दर से दण्डात्मक लाइसैंस शुल्क लगाया जाएगा।

(iv) किसी लाइसैंस के अन्तर्गत भंडारित कार्गो पूरी तरह लाइसैंस धारक के जोखिम और उत्तर दायित्व पर होगा। आबंटित स्थान में भंडारित कार्गो की सुरक्षा और ऐसे स्थान के किसी अन्य द्वारा अनाधिकृत कब्जा रोकने के लिए लाइसैंस धारक वहां अपना चौकीदार तैनात करेगा।

(v) लाइसैंस धारक, उसके द्वारा लाइसैंस के अन्तर्गत कब्जा किए स्थान पर कोई भवन, या ढांचा या सुविधा निर्मित या खड़ा नहीं करेगा।

(vi) यदि लाइसैंस धारक, लाइसैंस की अवधि समाप्त होने की तिथि को स्थान का खाली हालत में कब्जा सौंपने में असफल रहता है तो टीएमआईएलएल जितनी अवधि के लिए लाइसैंस प्रदान किया गया था उससे आगे जितनी अवधि तक, टीएमआईएलएल के परिसर में कार्गो रहता है, इसके लिए समय-समय पर लागू टीएमआईएलएल के दरमान के अनुसार सामान्य विलंब शुल्क प्रभार लगाया जाएगा।

(vii) लाइसैंस धारक सहमत होगा कि वह टीएमआईएलएल द्वारा समय-समय पर जारी नियमों एवं निदेशों का पालन करेगा। यदि लाइसैंस धारक, इन नियमों एवं निदेशों के अनुपालन की अनदेखी करता है तो टीएमआईएलएल लाइसैंस को समाप्त कर सकता है।

(viii) इस लाइसैंस को किसी भी पक्ष द्वारा 15 दिन के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है। लाइसैंस वापिस लेने / करने के लिए किसी प्रकार के मुआवजे के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ix) लाइसैंस धारक यह स्वीकार करेगा कि लाइसैंस से संबंधित सभी भुगतान और टीएमआईएलएल के कारण हुए सभी खर्च, समय-समय पर टीएमआईएलएल के दरमान में दी दरों पर वसूले जाएंगे।

(x) लाइसैंस धारक, केओपीटी नगर प्राधिकारी (प्रशासन), मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, भारत सरकार या कार्गो के भंडारण से संबंधित प्राधिकारी (वो कोई भी हो) द्वारा जारी सभी अनुदेशों, नियमों अथवा विनियमों का अनुपालन करेगा।

(xi) लाइसैंस शुल्क सीमांकन पर पाए जाने वाले वास्तविक क्षेत्रफल पर भूमिका कब्जा देने की तिथि से लगाया जाएगा।

(xii) जब आयात /निर्यात कार्गो के भंडारण के लिए भंडारण क्षेत्र लाइसैंस आधार पर आबंटित किया जाता है, तो लाइसैंस पर प्रदत्त परिसर में भंडारित कार्गो पर विलंब शुल्क दोबारा नहीं लगाया जाएगा।

(xiii) लाइसैंस धारक आबंटित भूमि का उपयोग उसी काम के लिए करेगा जिसके लिए उसे लाइसैंस पर दिया गया है। टीएमआईएलएल से विशिष्ट लिखित अनुमति के बिना भूमि के उपयोग के प्रयोजन में कोई परिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा।

(xiv) लाइसैंस धारक टीएमआईएलएल की संपत्तियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएगा, फिर भी यदि कोई क्षति पहुंचती भी है तो यह लाइसैंस धारक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी

लागत पर उसी क्षति को ठीक करवाए और टीएमआईएलएल को संतुष्ट करने की व्यवस्था करे।

(xv) आबंटित भूमि और इसके आस पड़ोस को साफ-सुथरा और समुचित स्वास्थ्यप्रद स्थिति में रखने के लिए लाइसैंस धारक अपनी स्वयं की व्यवस्था करेगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष